



2026:AHC: 128531

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19837/2026

इब्ने अली उर्फ शाहरुख

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: पंकज सत्संगी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन थाना- आलापुर, जिला- बदायूं में मुकदमा अपराध संख्या 01 वर्ष 2026, उ.प्र. गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध गैंग चार्ट में एकमात्र वाद दिखाया गया है और उक्त वाद में, आवेदक जमानत पर है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को अनुपूरक शपथ-पत्र के प्रस्तर संख्या 3 में स्पष्ट किया गया है।

5. उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन एफ.आई.आर. में, लोक व्यवस्था को बाधित करने के साथ-साथ इसी प्रकृति का अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के संबंध में आवेदक के विरुद्ध आरोप अस्पष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत "गैंग" और "गैंगस्टर" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त की ओर से किसी कार्य या लोप के संबंध में आरोप के अभाव में, कोई एफ.आई.आर. पोषणीय नहीं है। वर्तमान वाद में, एफ.आई.आर. लंबित आपराधिक वाद (वादों) पर आधारित है, न कि किसी नए अभिकथन (अभिकथनों) या तथ्य (तथ्यों) की खोज पर, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ा हो, जिसके उद्देश्य से यह अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

6. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने या नागरिकों को परेशान करने या धमकाने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब बराबर करने के लिए एक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

7. उन्होंने कहा कि इस वाद में, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य दिखाने या प्रशंसा जीतने या सरकार या सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का आह्वान किया है, जो अनुचित है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उन्होंने यह भी कहा कि वाद के तथ्यों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराध का दोषी नहीं है और यह कि वह जमानत पर रहते हुए अपराध कारित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक जमानत पर रहते हुए न तो कोई अपराध/कृत्य कारित करेगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस वाद में 14.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है और ऐसी कोई आशंका नहीं है कि यदि आवेदक को जमानत की सुविधा दी जाती है, तो वह विधि की प्रक्रिया से भाग जाएगा या वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि यह धारणा बनाई जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

10. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

11. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उचित रूप से स्वीकार किया है कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में आवेदक जमानत पर है। हालांकि, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक एक गैंग का सदस्य है और अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाकर और भय दिखाकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. उ.प्र. गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)

इस प्रकार है:-

"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का कोई अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय संतुष्ट न हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध कारित करने की संभावना नहीं है।"

13. उ.प्र. गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के प्रकाश में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री साक्ष्य, गैंग-चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति और अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

14. भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एस.सी.सी. 713 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कई निर्णयों में यह कहा गया है कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता को, बल्कि न्याय तक पहुंच और शीघ्र विचारण को भी अपने सुरक्षात्मक दायरे में कवर करेगी। सुप्रीम कोर्ट लीगल एंड कमेटी रिप्रेजेंटिंग अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम भारत संघ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विचारण लंबित रहने तक विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणामों का सामना तब तक नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करना चाहिए जब तक कि वह एक तटस्थ मध्यस्थ के समक्ष स्थापित न हो जाए। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकता के कारण जहाँ एक प्रभावी विचारण सुनिश्चित करने के लिए और एक संभावित अपराधी के जमानत पर बाहर रहने की स्थिति में समाज के जोखिम को कम करने के लिए, न्यायालयों को यह तय करने का कार्य सौंपा गया है कि क्या किसी व्यक्ति को विचारण लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर विचारण संभव नहीं होगा और अभियुक्त ने काफी लंबी अवधि तक कारावास भोगा है, तो न्यायालय आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होंगे।

15. उपरोक्त पक्षकारों के प्रस्तुतीकरणों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश और दताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 3 एस.सी.सी. 22 और सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य, एस.एल.पी. (सीआरएल.) संख्या 5191 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सिद्धांत पर विचार करने के बाद और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

16. पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक इब्ने अली उर्फ शाहरुख को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि:-

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां साक्षीगण की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

ए.पी. पाण्डेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”